न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 76/2014

1. सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 06 (नया) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 06 (नया) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. शशी पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 06 (नया) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. सविता पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 06 (नया) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज
2. सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III सूरतगढ़

–रेस्पॉडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री कमल दत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांटगण
2. श्री दलवीर सिंह सोवना, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02
3. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांकः–09.09.2020

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 08.10.2012 जिसके द्वारा रोही टीलावाली नामांतरण संख्या 237 खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट 1 के पति व अपीलांट संख्या 2 ता 4 के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ के नाम रोही मौजा टिलावाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 90/1 में 5.097 है0, खसरा न. 90/3 में 2.506 है0 बारानी भूमि अस्थाई आवंटन हुई थी, जिस पर अपीलांट्स के पिता आवंटी जगदीश प्रसाद के देहान्त के बाद अपीलांटस का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार लगातार नवीनीकरण होता रहा है। अपीलांटस को उक्त रकबा सम्वत 2029 में टीसी आवंटन हुआ व खातेदारी अधिकार दिनांक 16.10.2008 को प्राप्त हुए। अपीलांट के पति/पिता को संवत् 2029 में टीसी खसरा नंबर 90/3 में 3.226 है0 खसरा नंबर 90/1 में 5.603 है0कुल 8.829 है0 भूमि आवंटन हुई थी, जिसमें से खसरा नंबर 90/1 में 0.506 है0 खसरा नंबर 90/3 में 0.720 है0 कुल 1.226 है0 बारानी भूमि जीएफसी में अवाप्त हुई। खातेदारी देते समय उपरोक्त भूमि कम करके शेष खसरा 90/1 में 5.097 है0, खसरा नंबर 90/3 में 2.506 है0 कुल 7.603 है0 बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार दे दिये गये। अपीलांट दिनांक 23.07.2014 को अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक से लोन लेने के लिये गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त खातेदारी भूमि के इंतकाल संख्या 237 पर उक्त रकबा जीएफसी में आने का नोट लगाकर नायब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 08.10.2012 को खारिज कर दिया गया है। अपीलांट के पीठ पीछे बिना पूर्व नोटिस/सूचना दिये पारित किया गया है तथा एक तरफा तौर पर पारित आदेश है जो कि प्राकृतिक न्याय व सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है। इसके साथ अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज पैरोकार को व प्रकरण जीएफसी से संबंधित होनें के कारण सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III सूरतगढ को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमल दत्त शर्मा उपस्थित आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दलवीर सिंह सोवना एवं सरकार की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के अपीलांट के पति व अपीलांट संख्या 2 ता 4 के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ के नाम रोही मौजा टिलावालीं तहसील सूरतगढ के खसरा न. 90/1 में 5.097 है0, खसरा न. 90/3 में 2.506 है0 बारानी भूमि अस्थाई आवंटन हुई थी, जिस पर अपीलांट्स के पिता आवंटी जगदीश प्रसाद के देहान्त के बाद जिस अपीलांटस का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार लगातार नवीनीकरण होता रहा है। अपीलांटस को उक्त रकबा सम्वत 2029 में टीसी आवंटन हुआ व खातेदारी अधिकार दिनांक 16.10.2008 को प्राप्त हुए। अपीलांट के पति/पिता को संवत् 2029 में टीसी खसरा नंबर 90/3 में 3.226 है0 खसरा नंबर 90/1 में 5.603 है0 कुल 8.829 है0 भूमि आवंटन हुई थी, जिसमें से खसरा नंबर 90/1 में 0.506 है0 खसरा नंबर 90/3 में 0.720 है0 कुल 1.226 है0 बारानी भूमि जीएफसी में अवाप्त हुई। खातेदारी देते समय उपरोक्त भूमि कम करके शेष खसरा 90/1 में 5.097 है0, खसरा नंबर 90/3 में 2.506 है0 कुल 7.603 है0 बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार दे दिये गये। अपीलांट के उक्त खातेदारी भूमि का जब इंतकाल पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर नायब तहसीलदार सूरतगढ को प्रस्तुत किया तब नायब तहसीलदार सूरतगढ द्वारा उक्त इंतकाल पर उक्त रकबा जीएफसी में आने व खातेदारी गलत जारी होने का नोट लगाकर उक्त इंतकाल दिनांक 08.10.2012 को खारिज कर दिया, जबकि उक्त खातेदारी दिनांक 16.10.2008 को जीएफसी में आये रकबा को कम करके ही जारी की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अपीलांट की पीठ पीछे जारी किया गया है अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व नोटिस/सूचना नहीं दी गई। अपीलांट को उक्त आदेश का ज्ञान दिनांक 23.07.2014 को होते ही दिनांक 04.08.2014 को ही अपील पेश कर दी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. पैरोकार राज ने बताया कि राजस्थान राजपत्र अगस्त 3, 1967 में खसरा न. 90/3 जीएफसी के कट न. 13 में प्रकाशित है। उक्त रकबा की खातेदारी गलत जारी हुई है। इंतकाल संख्या 237 सही खारिज किया गया है। अतः अपील आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे एवं आदेश दिनांक 08.10.2012 यथावत रखा जावे।

6. योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 श्री दलवीरसिंह सोवना ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट के पति/पिता को टीसी पर भूमि आवंटन होना स्वीकार है परन्तु मौका पर अवाप्तशुदा भूमि पर कब्जा होना व मौका पर फसल काश्त होना अस्वीकार है। अवाप्तशुदा भूमि खसरा न. 90/1 की 0.506 है0 खसरा न. 90/3 की 0.720 है0 कुल 1.226 है0 की खातेदारी जारी नहीं हुई है, शेष भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

की खातेदारी जारी की गई है। रोही टीलावांली के खसरा न. 90/3 की 2.17 बीघा व 90/1 की 2.00 बीघा कुल 4.17 बीघा यानि 1.226 है0 भूमि घग्गर फ्लड के लिए दिनांक 03.08.1967 को अवाप्त की गई थी, जो दिनांक 05.08.1967 को गजट में प्रकाशित हुई थी तथा तब से वर्तमान तक जीएफसी का कब्जा है। अपीलांट के पति, पिता जगदीश के नाम से अवाप्त शुदा भूमि के अलावा शेष भूमि की खातेदारी जारी की गई थी। अवाप्तशुदा भूमि की खातेदारी जारी नहीं की गई है। इन्तकाल राही निरस्त किया गया है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावे।

7. योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन, मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधिनस्थ न्यायालय की संलग्न पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील निर्णय दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध दिनांक 28.07.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खंडन रेसपों0 द्वारा प्रति शपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। इसलिये न्याय हित में प्रा.पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपील के संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की आवंटी जगदीश पुत्र सुरजाराम की पत्रावली सं. 2810/2008 में जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण साकिन मानकथेड़ी को रोही टीलांवाली के खसरा नं. 90/1 में 22.03 बीघा व 90/3 में 12.15 बीघा कुल 34.18 बीघा रकबा एक साला अस्थाई काश्त हेतु आवंटन होना प्रकट होता है। जिसका आगामी वर्षो हेतु लगातार नवीनीकरण किया जाता रहा है। प्रार्थी जगदीश द्वारा उक्त आवंटित रकबा की आवंटन नियम 1970 के तहत खातेदारी प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रार्थी जगदीश को टी0सी0 पर आवंटित भूमि की हल्का पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक से मौका जांच कराई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। हल्का पटवारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को अस्थाई आवंटित भूमि रोही टिलांवाली के खसरा नं. 90/3 की 3.226 व ख.नं. 90/1 की 5.603 हैक्टर की कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट की गई तथा उक्त रकबा में से रोही टीलावांली के खसरा नं. 90/3 की 0.720 हैक्टर व ख.नं. 90/1 की 0.506 हैक्टर कुल 1.226 हैक्टर यानि 4.17 बीघा भूमि जीएफसी में अवाप्त होना बताया। हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 16.10.2002 को टी0सी0 आवंटी जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण साकिन मानकथेड़ी हाल सूरतगढ को आवंटन नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक II के तहत अस्थाई आवंटित 34.18 बीघा भूमि में से जी0एफ0सी0 की अवाप्त 4.17 बीघा भूमि कम करते हुए रोही टीलांवाली के खसरा नं. 90/3 में 2.506 हैक्टर व ख.नं. 90/1 में 5.097 कुल 7.603 हैक्टर यानि 30.01 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश जारी किये गये तथा उक्त आदेश दिनांक 16.10.2008 के क्रम में क्रमांक 2810 दिनांक 16.10.2008 को 7.603 हैक्टर यानि 30.01 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार पत्र जारी किया गये। इन तथ्यों को अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने लिखित अभिकथन दिनांक 09.05.2018 के पैरा सं. 13 में सही होना स्वीकार किया है तथा यह भी बताया है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट के पति/पिता जगदीश को जी0एफ0सी0 में अवाप्त 4.17 बीघा भूमि को छोड़ते हुए शेष 30.01 बीघा यानि 7.603 हैक्टर भूमि के खातेदारी अधिकार पत्र जारी किये गये है। जी0एफसी0 की अवाप्तशुदा 4.17 बीघा की खातेदारी जारी नहीं हुई है शेष भूमि की खातेदारी जारी की गई थी। प्रार्थी जगदीश के नाम दिनांक 16.10.08 को जारी खातेदारी अधिकार पत्र रोही टीलांवाली के खसरा नं. 90/3 में 2.506 हैक्टर बारानी व ख.नं. 90/1 में 5.097 हैक्टर बारानी कुल 7.603 हैक्टर भूमि का हल्का पटवारी किशनपुरा द्वारा इन्तकाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सं. 237 दर्ज किया जाकर हल्का गिरदावर से बाद जांच निर्णय हेतु हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थी की मूल खातेदारी पत्रावली सं. 2810 दिनांक 16.10.08 का अवलोकन किये बिना ही इ.सं. 237 यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया गया कि राज0 राजपत्र अगस्त 3, 1967 में ख.नं. 90/3 जीएफसी के कट नं. 13 में गजट में प्रकाशित है, खातेदारी गलत जारी हुई इन्तकाल खारिज किया जाता है। नायब तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रिकार्ड का पूर्ण अवलोकन किये बिना ही इन्तकाल सं. 237 खारिज करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जी0एफ0सी0 हेतु अवाप्त 4.17 बीघा भूमि के अतिरिक्त शेष 30.01 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार पत्र जारी किये गये थे, जिसे अधिवक्ता रेस्पो0–2 ने अपने लिखित अभिकथन में सही होना अंकित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा इन्तकाल सं. 237 को खारिज करने में कानूनी भूल की गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल सं. 237 को दिनांक 08.10.2012 को खारिज करने के सम्बन्ध में पारित आदेश अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स के पति/पिता जगदीश पुत्र सुरजाराम के नाम जारी खातेदारी अधिकार पत्र क्रमांक 2810 दिनांक 16.10.2008 में वर्णित भूमि के संबंध में नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner